>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Inter-State River Water Regulatory Authority Bill, 2005. (Bill Withdrwan)

MR. CHAIRMAN : Now, we take up item no. 45 – Inter-State River Water Regulatory Authority Bill, 2005.

Shri Mohan Singh.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि अंतरराज्य नदी जल के वितरण के लिए अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हम इस बात को सभी जानते हैं और आप इसके सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं, जब कभी वर्षा ऋतु आती है, जिस राज्य से जो नदी निकलती है, उसके पानी को छोड़ दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि नीचे बसने वाले राज्य बाढ़ से निरंतर ग्रस्त हो जाते हैं। इस वर्ष और पिछले दो-तीन वर्षों से बिहार राज्य में तीन-चार बाढ़ आ चुकी है। उत्तर प्रदेश से बाढ़ शुरू होती है और बिहार में जाकर समाप्त होती है। तकरीबन उत्तर भारत की बीस से पच्चीस करोड़ आबादी हर साल बाढ़ से तबाह होती है। यही स्थिति दूसरें राज्यों की भी है। दिल्ली की आम जनता पीने के पानी के लिए मोहताज हो जाती है, परेशान हो जाती है क्योंकि यमुना नदी जब हिमालय से निकलती है तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भाईयों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है कि राजस्थान सबसे एंड पर है इसलिए सारी कोशिश के बावजूद कि इंदिरा नहर को राजस्थान तक पहुंचाएंगे और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को हरा-भरा करेंगे।[r58] लेकिन वह स्वप्नमात्र रह गया। इंदिरा जी के जमाने से इंदिरा नहर वहां पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसका पानी नहीं पहुंचता। हर साल तीनों-चारों राज्य दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इस विवाद से परेशान होते हैं कि यमुना के जल का समुचित बंटवारा नहीं हो पाता। दक्षिण के राज्यों की भी यही समस्या है। हमने देखा कि कावेरी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर कितना विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए अवार्ड को भी मानने के लिए दक्षिण के उन तीनों राज्यों में से कुछ राज्य तैयार नहीं थे और जनता की ओर से इस मामले में जबरदस्त आंदोलन खड़े हुए। नर्मदा नदी के पानी को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यह विवाद चलता रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आज की तारीख में पेयजल की गम्भीर समस्या है। महिलाओं का सुबह एक मात्र काम होता है कि वे दस-बीस किलोमीटर दूर तक अपना टोकरा लेकर जाती हैं और पानी ढोकर लाती हैं, चूंकि वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों में हैं। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां के बारे में अब समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं कि पानी के अभाव में धरती फट रही है और उसमें से ज्वालामुखी निकलने की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले चार-पांच वर्षों में जो बुंदेलखंड में जबरदस्त सूखा पड़ा, जिसके चलते आज ज्वालामुखी की स्थिति बनी है, उसके साथ वहां भुखमरी की हालत भी है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उसके समुचित ढंग से बंटवारे की। इस देश में बहुत पहले एक नीति बनी थी, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में श्री के.एल. राव साहब भारत के सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण तक पहुंचा देंगे। लेकिन बीच में हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। जैसे हमारे उत्तर में हिमालय खड़ा है, हमारे मध्य में विंध्याचल खड़ा है। इसलिए उत्तर की नदियों को दक्षिण ले जाना एक कठिन काम है। लेकिन एक नीति के ऊपर सरकार ने चलने की बात की कि यदि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण नहीं ले जा सकते तो उत्तर की ही नदियों को आपस में इस तरह जोड़ दें कि बरसात के दिनों में जिन नदियों में जल नहीं रहता, वहां जल पहुंच जाए और गर्मी के दिनों में जब जल की बहुत आवश्यकता होती है तो उसका जल इस रूप में संरक्षित रहे कि गर्मी में भी लोगों को पानी मिल सके, सिंचाई का भी इंतजाम हो सके और पेयजल की समस्या का भी समाधान हो सके।

सभापति महोदय, हमारे पूर्वी हिंदुस्तान की भी एक गम्भीर समस्या है। क्योंकि हिमालय हमारे जल का प्रमुख स्रोत है और रोजाना ये खबरें हमारे देश के अखबारों में छपती रहती हैं कि तिब्बत से जिन नदियों का स्रोत है, उस स्रोत को बिगाड़ने की कोशिश हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह खबर छपती है कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसे हाइड्रोजन के जरिये तोड़कर उसकी दिशा को बदलने की कोशिश हो रही है। जिन नदियों से कश्मीर तक भूभाग की सिंचाई होती है और कश्मीर में हम बिजली का इंतजाम कर पाते हैं, इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सिंचाई भी होती है, दो वर्ष से हम सुन रह हैं कि सिंध नदी के ऊपर भी संकट है और जो झेलम और चेनाब नदियां हैं, उनमें इस तरह के अवरोध पैदा कर दिये जाते हैं कि जल से हमारे बिजली बनाने के जो कारखाने हैं, वे कारखाने हिमाचल प्रदेश में पिछले सालों में बर्बाद हो गये। इसलिए नदियों के जल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण समस्या इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भी है और और इस देश की आम जनता की सुख-समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि बार-बार किसी भी राज्य की जनता को सुप्रीम कोर्ट न जाकर उसकी ओर से पंचाट नियुक्त करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की बजाय एक स्थाई रेगुलेटरी अथारिटी इस देश में बना दी जाए, जो राज्यों की अपनी आवश्यकता को देखते हुए जल का वितरण करे। इसलिए हमने इस विधेयक में इसका जो कारण और आधार रखा है, उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं[b59]।

17.00 hrs.[m60]

As a result of smaller States being constituted in the country, the number of rivers passing through another State or States from the State of their origin has increased. Usually, the practice is that the upstream States store the river water at its originating point and the neighbouring downstream States do not get adequate water for their needs. During monsoon, water is released in the river by the State of its origin, as a result of which, the downstream States have to face the devastations caused by floods. In dry season, people of downstream States suffer from drought conditions. Water is one of the principal reasons of dispute amongst different States. Therefore, it has become necessary to bring all inter-State rivers under the exclusive jurisdiction of the Central Government. The Central Government should undertake the exercise of water sharing through a regulatory authority keeping in view the needs of various States. In addition, providing resources for water harvesting to States that are faced with floods and drought is also very important.

Hence, I am moving this Bill for the consideration of this House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the constitution of an Inter-State River Water Regulatory Authority for the distribution of inter-State river water and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री मोहन सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह एक अच्छा विषय का प्रस्ताव सदन में लाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जो उत्तर देंगे, वह हम सभी सांसदों और इस देश के लिए संतोषजनक उत्तर होगा और वह बहुत गहराई से सोच-विचारकर उत्तर देंगे। यह हमारे देश की विडम्बना है कि आज आजादी के 60 साल बाद भी जल प्रबन्धन का कार्य जिस तरह से होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जैसा कि मोहन सिंह जी ने बताया और कई बार इस सदन में चर्चा भी हुई कि देश के एक क्षेत्र में सूखा पड़ता है और एक क्षेत्र में बाढ़ आती है। अगर हम अन्तरराज्यीय नदी बंटवारे को देखें, जैसे रबी-व्यास उदाहरण और अब रबी-व्यास के उदाहरण में सैक्शन 14 के अन्तर्गत यह विवाद कोर्ट में चला और कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि एक ट्राईब्यूनल गठित करिए। ट्राईब्यूनल गठित हुआ लेकिन उस ट्राईब्यूनल ने आज तक सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी। अब आप सोचिए कि रबी-व्यास का विवाद चल रहा है। इसी तरह से महादेइ-मांडेयी नदी का विवाद है। यह विवाद महाराष्ट्र और गोवा सरकार के बीच का विवाद है। कोर्ट ने गोवा सरकार को वर्ष 2006 में आदेश दिया कि आप एक रिपोर्ट भेजिए लेकिन अभी 2007 समाप्त हो रहा है और वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इन विवादों को जल्दी से निपटाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नदी बंटवारे का जो विवाद है, उसे आप वैज्ञानिक तरीके से निपटाइए। "The basis of solving the river dispute should be scientific." मैं उससे सहमत हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें राजनीति भी होती है। जिस राज्य और जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में होती है, वह एक काम कर सकती है कि अगर कोर्ट ने उनसे कुछ जवाब मांगा तो जवाब देने में विलम्ब कर सकती है और ऐसा होता है, हम सब जानते हैं तथा इस विलम्ब के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। पंजाब आज कह रहा है कि हम पानी हरियाणा और राजस्थान को नहीं देंगे। इसमें एकता और अखंडता का भी प्रश्न उठता है। अगर हम एकता और अखंडता की बात करते हैं तो हमें देश को एक और अखंड रखने के लिए कदन भी उठाने चाहिए। मैं पंजाब सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हूं और पंजाब सरकार तो यहां तक कह रही है कि हम पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट का सैक्शन 5 जो है, उसे अबॉलिश कर देंगे।[r61] अगर उसे अबौलिश कर देंगे तो क्या होगा? आज सुबह ही राजस्थान की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया कि वहां पानी की कितनी कमी है। अगर कल हिमाचाल प्रदेश यह कह दे कि रावी-व्यास नदियां उसके यहां से निकलती है, वह पंजाब राज्य को पानी देने के लिये तैयार नहीं है तो भाखड़ा में पानी कहां से भरेगा, गोविन्द सागर डैम में पानी कहां से आयेगा? इसलिये आज इस संबंध में विचार करना आवश्यक है। अभी दिल्ली का उदाहरण दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में न जाने कितने लोग बसते हैं। वर्ष 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स होने हैं। इस संबंध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार को उन दोनों राज्यों को बुलाकर बात करनी चाहिये और विवाद का अंत करना चाहिये।

सभापति जी, नदियों को जोड़े जाने की योजना बहुत ही अच्छी है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जिस प्रकार धरती पर तापमान बढ़ रहा है, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम नदियों को नहीं जोड़ेंगे तो नदियों का सारा पानी समुद्र में चला जायेगा और उसका जल-स्तर और बढ़ जायेगा। इसलिये नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नदियों के पानी को जोड़ने की योजना पर आपत्ति जतलाई है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह कृपया इस विवाद का भी निराकरण करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस संबंध में राजनीति की गई है। केन-बेतवा नदी जोड़ने की योजना को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दी थी लेकिन आज पर्यावरणविदों ने आपत्ति यह उठायी कि केन-बेतवा के कारण टाईगर रिजर्व इस योजना से प्रभावित होता है। लेकिन उस समय पर्यावरण विशेषज्ञों ने आपत्ति नहीं की थी और योजना को मंजूरी दे दी गई थी। चूंकि यह योजना पूर्व की केन्द्र सरकार ने मंजूर की थी, इसलिये उसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण संबंधी समस्यायें हैं। इस तरह की दोमुंही बातें नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार पार्वती काली-सिंध नदी योजना है जो मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों को प्रभावित करती है। इस लिंक परियोजना में पर्यावरण का किसी तरह से कोई विवाद नहीं है। यहां तक कि जो छोटे-मोटे विवाद थे, वे भी दूर हो गये हैं। दोनों राज्यो में एक प्रकार से सहमति भी हो गई है। पूर्व में केन्द्र सरकार ने राशि भी आवंटित कर दी थी। आप जानते हैं कि राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग सूखाग्रस्त है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया या जल की व्यवस्था नहीं की गई तो मध्य प्रदेश का लगा हुआ ऐरिया रेगिस्तान में बदल जायेगा। लिंक परियोजना से 1360 लाख क्यूसिक पानी बढ़ेगा जिससे लगभग सवा-डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की जा सकेगी। अभी तक इस योजना को शुरु नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जल्दी ही इस योजना को स्वीकृति दी जाये जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का वह ऐरिया रेगिस्तान में परिवर्तित न हो जाये। वहां गरीब लोग रहते हैं जो मजदूरी की खोज में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, उनका पलायन रुक सके। वहां के लोगों की पेयजल की समस्या का हल हो सके और जल-स्तर नीचे जाने से रुक सके। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर प्रकाश डालें।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Thank you, Sir, for the opportunity given.

First of all, I am appreciating and congratulating our hon. senior Member Shri Mohan Singh for introducing this Bill. Through this Bill he is suggesting to constitute an Inter-State Water Regulatory Authority by the Government of India to resolve the disputes between the State where the river originates and the States where it flows. [k62]

He has suggested in clause 5(1) of this Bill that the Authority shall consist of the Chairperson, who shall be a retired Chief Justice of Supreme Court and four other members who are retired and have held high positions in the Ministries of Water Resources and Energy of the Central Government. Then, he explains the functions of the Regulatory Authority. The first function is to calculate the water resources available in all the States and their requirement of water for the purposes of irrigation, drinking and generation of power. It is also to advise the Government with regard to water harvesting policy. These are the things he has suggested.

If you go from Kanyakumari to Kashmir, throughout the country all the States are having problem of water sharing. When our great late leader Shri K. Kamaraj became the Chief Minister of Tamil Nadu, on April, 14, 1954, he planned to construct various dams in the State of Tamil Nadu, particularly Bhavani Sagar Dam and Amaravathi Dam etc. for irrigation purposes. Now, all the States, where the river originates and flows to other States, are fighting for sharing of water. So, the hon. Member has suggested through this Bill to solve this problem between the States.

I want to put forth before this august House that to solve the disputes between the States, inter-State River Water Disputes Act was enacted in the year 1956. It was further amended in the year 2002 to adjudicate the disputes in a time bound manner. A number of cases were referred to this Inter-State Water Dispute Tribunal and those cases are pending for a number of years. Huge money is already spent for solving the problem, but the problem is not yet solved. During the rainy season, we are able to see that there is more water flowing in River Ganga and River Brahmaputra, without using it for any purpose.

If you go to the Southern States like Tamil Nadu, we are not able to get water in a time bound manner for agricultural purposes. Even though we have Cauvery delta in Tamil Nadu, we have to beg to other States for taking the water; otherwise total agriculture in the State will collapse. That is the position. Now-a-days, we are having shortage of water. We are in need of water for having hydro-electric projects. Those States which are having more water, they can give it to other States which are not having sufficient water.

Under the provisions of the Inter-State River Water Disputes Act, the Inter-State River Water Disputes Tribunal was constituted and a number of cases were referred to it from various States. In this regard, I want to mention certain cases. With regard to rivers Ravi and Beas, there is a dispute among Punjab, Haryana and Rajasthan. Till 2006, for this case alone, they spent nearly Rs. 5.45 crore. There is Cauvery River water dispute among Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Pudduchery. Till 2006, nearly Rs. 10.43 crore were spent. With regard to Krishna River water dispute among Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra, nearly Rs. 2.05 crore were spent. The entire expenses for the Tribunal are borne by the participating States. Even after spending these huge sums, the problems are not yet solved.

There is a dispute among Goa, Karnataka and Maharashtra with respect to Madei, Mandovi and Mahadayi Rivers. These are all long pending disputes. Andhra Pradesh and Orissa are fighting in the same manner regarding Bansadhara River water. Then, Tamil Nadu and Kerala are fighting with regard to water of Mullaiperiyar River. That is continuously going on. The Government of India is effectively and sincerely trying to solve the problem by way of negotiations. If the negotiations do not succeed, the problem is referred to the Tribunal. The matter is pending in the Tribunal also. Once the Tribunal does not solve it, it goes to the Supreme Court. In the Supreme Court also, it remains pending.

Unless the inter-State water disputes are solved throughout the country, there will not be a permanent solution of water required for irrigation and power generation purposes.[s63] For example, if the States come forward with a compromise, then the problem will be solved.

As regards Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed one year back with respect to the Ken-Betwa link. Similarly, Rajasthan is also preparing to sign an MoU with respect to Chambal, Kali Sindh, Parbati and Banas rivers for irrigation and drinking purposes. Therefore, our senior hon. Member, Shri Mohan Singh, suggested constituting the Inter-State River Water Regulatory Authority with the help of which all the rivers will be taken by the Government of India. Hence, based on this suggestion, the Government of India can direct the States -- where water source is available or from where water originates -- to provide water to the States where water is necessary or required. If this Bill is accepted by the Government, then the problem in this country will be solved. Hence, I am welcoming this Bill, and supporting this Bill.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, हमारे बहुत ही अनुभवी और किसानों के हमदर्द मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अन्तरराज्यीय नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005 का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। सचमुच जल ही जीवन है। यह विधाता की अद्भुत देन है। इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। अब्दुल रहीम खानखाना कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है -

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून।।

मान्यवर, यह अब्दुल रहीम खानखाना की कविता है। 'रहिमन पानी राखिए,' रहीम कवि कहते हैं कि हे मनुष्यो, जल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। 'बिन पानी सब सून,' बिना पानी के, बिना जल के सब सूना है। ''पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून,' जिसका पानी उतर जाता है, अगर इंसान का पानी उतर जाता है, उसकी इज्जत चली जाती है, तो इंसान का जीवन बेकार। मोती का पानी, चमक अगर चली गई, तो वह मोती किसी काम का नहीं। इसी प्रकार चूना या आटे का बिना पानी के क्या अस्तित्व है। इसलिए पानी का बहुत महत्व है। यहां 'आबरू' शब्द बना ही 'आब' से है। 'आब' भी जल के लिए आया है। उसी से आबरू यानी प्रतिष्ठा बनी है। वेद के अंदर कहा गया है "आपो वै ब्रह्म" जल ही ब्रह्म है, जल ही ईश्वर है। इस प्रकार की बात कही गई है। इस प्रकार देखें, तो जल के महत्व को प्रारम्भ से ही स्वीकार किया गया है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना कहा जाता है। India is called nature's cradle. हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना है। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि हैं। कहीं नदियां हैं और कहीं मैदान हैं, कहीं थार का मरुस्थल है, कहीं दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है और कहीं समुद्र तटीय मैदान हैं। सब प्रकार की जलवायु, सब प्रकार की वनस्पतियां, सब प्रकार की उपज, सब प्रकार की फसलें, सब प्रकार के फल, सब प्रकार के लोग, सब धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग इस देश के अंदर हैं। 'अरूण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।' ऐसे देश के अंदर पानी के नाम पर विवाद हो, इससे बढ़ कर दुखद स्थिति और क्या हो सकती है।

मान्यवर, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को न अपनाकर हम क्षेत्रीयतावाद, प्रान्तीयतावाद या रिपेरियन लॉ के अनुसार चल रहे हैं, यानी जहां पानी है, जहां पानी निकलता है, उस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। ऐसा मान कर चलना, उचित नहीं है। जब हमने नदियों को एक बार अन्तरराज्यीय नदियां कह दिया, तो वह नदी जो एक राज्य से दूसरे और दूसरे से तीसरे राज्य में बहकर जाती है, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन हम सब आपस में लड़ते हैं। आपने एक बहुत सुन्दर हल प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाईकोर्ट में जाओ या ट्रिब्यूनल में जाओ। इनमें बहुत समय लगता है। यदि प्राधिकरण होगा और जल को यदि राष्ट्रीय सम्पति मान लिया जाएगा तथा नदियों को राष्ट्रीय सम्पति मान लिया जाएगा, तो उससे हमारी राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण विकसित होगा। अगर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी, तो हम एक दूसरे के दुख-सुख के भागीदार होंगे। निश्चित रूप से जब जल राष्ट्रीय सम्पति होगा, तो प्राधिकरण उसका विभाजन भली प्रकार से कर सकेगा। जहां अधिकता है, वहां से जहां अभाव है, वहां जल दिया जा सकेगा।

मान्यवर, आप तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपने स्वयं कई दफा अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार के अंदर बाढ़ का विकट प्रकोप होता है और लगभग दो-तिहाई हिस्सा, प्रति वर्ष बाढ़ के अंदर तबाह हो जाता है। [r64] चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो और अब तो हमारे राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी है। कहां पहले 14-14 साल तक बादलों के दर्शन नहीं होते थे और अब बाड़मेर में बाढ़ आ गई। सारा भूगोल बदल रहा है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें तनिक मात्र भी शंका नहीं है कि राजस्थान के अन्दर पानी की बड़ी कमी है। हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं। लगभग 20-25 साल हो गये, भाखड़ा बांध जब से बना, तब से हम कह रहे हैं कि सतलुज, रावी और व्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से के साथ-साथ राजस्थान का भी हिस्सा होना चाहिए और भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड, हरिके बांध की व्यवस्था में राजस्थान का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, उसकी देख-रेख में होनी चाहिए।

लेकिन 0.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमको पहले मिलता था। पहले यह तय हुआ था कि इतना पानी आपको मिलेगा, जब तक आपके यहां नहरी क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता है और जब आपके यहां पूरा नहरी क्षेत्र का विकास हो जायेगा, नहरें बन जाएंगी, उप-नहरें बन जाएंगी, छोटी नालियां बन जाएंगीं, सिंचाई का पूरा प्रबन्धन हो जायेगा तो फिर आपको पूरा पानी देंगे, लेकिन तब तक आपको इतना ही पानी दिया जायेगा। जब से वह योजना बनी और बांध बने, तब से हमारा पानी वही का वही है। अब राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर भी बन गई, करोड़ों रुपया भी खर्च हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक पानी पहुंचाने का प्रयास हो गया, लेकिन फिर भी पंजाब हमारे हिस्से का पानी देने से इंकार कर रहा है। अब तो उसने टर्मिनेशन बिल पास करके कह दिया कि राजस्थान को कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा, हरियाणा को कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर जो बननी थी, उसमें भी हरियाणा और पंजाब के अन्दर विवाद चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है। इन सारे विवादों की ओर मैं ध्यान नहीं दिलाना चाहता, हमारे साथी बहुत कह चुके हैं। ...(व्यवधान) मुझे अपनी पूरी बात तो कहने का मौका दें।

एक तरफ बाढ़ की विभीषिका है और दूसरी तरफ उसकी कमी है। एक इन्सान के नाते, मानवता के नाते हमारा फर्ज हो जाता है कि जहां आवश्यकता हो, वहां पानी दिया जाये और जहां ज्यादा हो तो ज्यादा वाला उदारतापूर्वक उसे दे। जब वहां बाढ़ आती है तो पानी छोड़ देते हैं, बड़े-बड़े बांधों के गेट खोल दिये जाते हैं और नीचे उसकी सूचना भी नहीं हो पाती है और एकदम बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब बाढ़ नहीं होती है और जब नीचे सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है तो वहां सारा पानी रोक दिया जाता है, चाहे वह दूसरे देश में, पाकिस्तान के अन्दर बहकर चला जाये, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना नहीं चाहता। यह स्थिति बड़ी भयावह है।

माननीय राव साहब जब सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने भी प्रयत्न किया और उसके बाद जब एन.डी.ए. की सरकार आई और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां अन्य क्षेत्रों के अन्दर, चाहे सड़कों का निर्माण हो, इफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, वे सारे काम किये, वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि नदियों को जोड़ने का काम किया जायेगा, ताकि अभावग्रस्त, अकालग्रस्त, सूखाग्रस्त पानी की आवश्यकता वाले इलाकों के अन्दर, पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी जल पहुंच सके और बाढ़ वालों को भी परेशानी नहीं हो और वहां की आवश्यकता भी पूरी हो जाये। लेकिन जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो उन्होंने बजट एलोकेशन भी बहुत कम किया है और उदासीनता बरत रही है, उपेक्षा बरत रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सोज़ साहब बैठे हुए हैं, कश्मीर के अन्दर भी आगे पीछे यही समस्या आने वाली है, क्योंकि चीन सिंध का पानी निकालकर...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर मंत्री जी का जवाब भी होगा। अमरकंटक को छोड़कर आपके सारे पाइंट्स आ गये हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं यह कह रहा था कि नदियों का पानी सब राज्यों को मिले। प्यासे को पानी मिले, यह तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति में रहा है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिले। चाहे खेती प्यासी हो, उसे भी पानी मिले और इन्सान प्यासा हो, पेयजल की समस्या हो, इसलिए जहां बहुलता हो, वहां से पानी दिया जाना चाहिए।

मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूं। इस बिल के अन्दर 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं, आप भी इसकी प्रशंसा करना चाहेंगे। इसमें यह है कि दो काम इस प्राधिकरण के जिम्मे रहेंगे। एक तो प्रत्येक राज्य को अन्तर्राज्यीय नदियों के जल वितरण का काम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा। यह जो रैगुलेटरी एथॉरिटी है, जो विनियामक प्राधिकरण है, यह सिफारिश करेगा। दूसरे, जल संचयन भी तो होना चाहिए, उसके लिए प्रत्येक राज्य को निधियां आबंटन करने के लिए भी केन्द्र सरकार को यह सिफारिश करेगा।[R65]

आपने ऐसा आयोग बनाया है, इसका जो प्राधिकरण बनेगा, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके दो अन्य सदस्य होंगे, जो रिटायर्ड हों, लेकिन वे केंद्रीय सरकार के जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय के उच्च पदों पर हों। इसका अध्यक्ष एवं सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी, केंद्रीय सरकार सिफारिश करेगी, पैनल भेजेगी और उसमें से महामहिम राष्ट्रपति जी चाहेंगे, तो ऐसे में किसी को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद हो या राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में काली, सिंध और पार्वती का विवाद हो, क्योंकि हम दो तीन साल से सुन रहे हैं, कि सब हो गया है, सब बातें कर ली हैं, लेकिन वहां पानी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय जल प्राधिकरण की शीघ्र स्थापना की जाए, ताकि हमारी समस्याएं हल हो सकें।

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : जनाब वाइस चैयरमैन साहब, मेरे दिल में बड़ी खुशी है कि मोहन सिंह जी बहुत ही अच्छा बिल हाउस में लाए हैं। इनकी प्रिंट का मैं खैरमकदम करता हूं और इनकी बात से सहमत हूं, बल्कि जो मेरे कलीग मोहन सिंह जी, रासा सिंह जी और तमिलनाडु के भाई खारवेंथम जी ने जो भी बताया, मैं उसकी प्रिंट से तहेदिल से सहमत हूं। इस बिल का जो स्टेटमेंट है, उससे लगता है कि मोहन सिंह जी के दिल में एक बड़ी चिंता है, जो मुझे भी है और सारे सदन को है। इनको तकलीफ है, इन्होंने पंजाब में देखा, यमुना मे देखा कि वहां पानी है, लेकिन पानी रिपेरियंस को, जो नीचे हैं, उनको ठीक तरह से नहीं मिलता है। कृष्णा, कावेरी की बात भी इन्होंने कहीं। वहां बड़ी मुश्किलात हैं। जो दरिया के निचले रूख में रहते हैं, लोअर रेपिरयंस हैं, उनको काफी तकलीफें हैं। इनका यह भी कहना है कि देश में पानी की कमी नहीं है। असल में यह पानी की तकसीम का मामला है। जैसा कि रासा सिंह रावत जी ने अब्दुल रहीम खानखाना के श्लोक भी बताये। जो सारे मौजूदा मेंबरान हैं, उनके दिल में तड़प है, फिर झगड़ा किस बात का है, झगड़ा होना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इन्होंने इंटरलिंकिंग की भी बात की। हालांकि इस वक्त लगता है कि यह बात जल्दी खत्म हो जाए। मैं आपको दावत देता हूं किसी दिन आपके साथ बहुत जमकर बात करेंगे। यह बहुत जरूरी मसला है। मैं आपको बहुत ही तफसील से बताऊंगा क्योंकि मैंने कुछ इसमें वर्जिश की है। इसे समझने में कुछ टाइम लगाया है। इस वक्त संक्षेप में कुछ बातें बताता हूं। मैं मोहन सिंह जी का समर्थन करता हूं क्योंकि इनकी प्रिंट बहुत अच्छी है। देशभक्तों का ही यह काम है कि वे सबके लिए चिंता करें । मध्य प्रदेश और राजस्थान में तकलीफ है। इसके बारे में लक्ष्मण सिंह जी ने बताया। मध्य प्रदेश और राजस्थान योजना को मुकम्मल करना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले मैं जरा दूसरे मेंबर्स की बात करूंगा।

Shri S.K. Kharventhan raised real issues. He said that there are disputes between Kerala and Tamil Nadu on the Cauvery basin, that the institution of tribunal takes a lot time, and that they are going to court. But you will realize that there is a system in the very Constitution. If we delay, then the Supreme Court can take *suo motu* notice of that. There is a system in our Constitution. We have the Judiciary; we have the Legislature; and we have the Executive; and we also have the jurisdiction. We should feel proud of these organs. But he is right because court takes a long time. The thing which can be resolved through discussion, cannot be resolved by courts, even after spending a year. Therefore, in due course, we have to go to that. But here and now, I must say that we cannot avoid tribunal. [p66]

Water Disputes Act is based on the Constitutional provisions, that is, article 262 of the Constitution of India. First of all, I would like to tell Shri Mohan Singh that as for the institution of a Regulatory Authority is concerned, I would say that at the moment it is not needed because Entry 56 of the Constitution of India is comprehensive enough. I have already told you that I want to save the time of the House and so, I will not speak much. I have a copy of the Constitution with me. Entry 56 of the Union List is powerful enough. It gives power to the Central Government. The position is that the Founding Fathers of the Constitution worked very hard. They gave power. They wanted water to be the State subject. Even though there is entry 56, it overrides Entry 17 of the State List. Yet, it cautions that you may not invoke it in such a manner that

the States will not be in agreement with you. So, after long thinking on these issues we have come to a consensus.

What is the consensus? The consensus is our agreement in the Ministry. After deliberations in both Houses of Parliament, in our Consultative Committee, the situation that prevails in the country is, we are consulting the States. We cannot do anything without their consultation. The consensus is now reflected when we are proposing to set up a River Basin Organisation in consultation with the co-basins to decide on the optimum development of the basin and use of water in an equitable manner and to resolve differences through consultations. We are doing that but the process is lengthy. Something should happen.

I agree with the spirit of the hon. Member. Something should happen so that the upper riparian do not control water or use water in such a manner that the lower riparian are put to difficulty. In monsoon they have enough water to flood others and when there is scarcity of water they face drought. We must avoid that situation. Every drop of water belongs to the nation. It does not matter through how many States a river flows. It belongs to all, belongs to the entire nation.

I am continuing this discussion with the hon. Chief Ministers. We are trying to evolve a broader consensus in the country. We shall do that but I have a little apprehension. Sometimes, the difficulty may arise. As an organ of the Government of India I may like the States to come to a consensus but that may become difficult. I sat with the hon. Chief Ministers of Tamil Nadu and Kerala. I was all the time promoting understanding between them. Ultimately, that issue has gone to the hon. Supreme Court. What can I do? I cannot do anything. I tried my best to promote understanding.

We are lucky that in response to the needs of the society this Constitution has been amended umpteen times. So, in future we may think of creating some mechanism where a situation will arise in the country - I would not say compulsorily – where the States will have to be reasonable enough to come forward to have an agreement. As of now, people talk of disputes. Let me tell you that already 125 agreements are in shape. When I was in abroad, somebody asked me that in India we have disputes on water. I told him that yes, we have disputes. We have Tribunals which take a lot of time and a lot of money also. We waste money and time on disputes and go to the Supreme Court. In India already 125 agreements are in shape. So, we should not be afraid of disputes. Through consultations with the hon. Members in the two Houses, we should evolve a system where the States will rise to the situation and there will be no dispute. We shall try to resolve this issue. The States will resolve this issue among themselves.[R67]

In this connection, I would say that inter-linking is a tool to use water equitably and in a better way. Prof. Rasa Singh Rawat has quoted Abdur Rehman Khane Khana and he talked very beautiful things. He is a nationalist. I say that but ultimately he came to politics finding fault with this Government where he was totally wrong. The situation in his mind is that this Government has kept inter-linking on the back burner. That is absolutely wrong. My Ministry is putting a lot of effort for inter-linking. Ken-Betwa link DPR is in progress. The DPR is a very difficult thing. You have to get concurrence from the Ministry of Environment and environmentalists have to sit and apply their mind. It takes a lot of time. Then, you have to agree on a DPR. Finally, thank God that there is DPR in process. They wanted three years but I begged of them to kindly give it in two years. I do not know whether they will be able to complete it or not. Six months have already elapsed and one and a half years more is there. But when Ken-Betwa DPR will be ready and we start working, it will be a very great news that two rivers will get linked. It would bring a lot of relief to Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

I am following it vigorously Parvati-Kali Sindh-Chambal link. Let me tell you, my dear friends, that not only did we provide MoU to Rajasthan and Madhya Pradesh but I wrote three DOs so far to Shri Chauhanji and my sister, Vasundharaji that this is your water, use it properly, connect these rivers and give relief to the people. Writing DO means putting a concerted effort. It is not merely MoU, it is with them, let them decide. You should help them because you are the hon. Member from that State. Par-Tapi-Narmada link pertaining to Gujarat-Maharashtra, Daman-Ganga-Pinjal link, Godavari-(Pulavaram)-Krishna-(Vijayawada) link pertaining to Orissa-Maharashtra-Andhra Pradesh-Karnataka and Chhattisgarh, for Par-Tapi-Narmada and Daman Ganga-Pingal links, MoUs have also been provided. We are persuading these States to kindly do something. It is your water and it is nation's water. You come to an agreement and connect these rivers. We are at your disposal with all technical help and whatever help is needed.

Therefore, my hope is that this Ministry will succeed in inter-linking. If we connect these five links, we have 14 feasibility reports for the peninsular area ready. We are also working for the Himalayan links. We are vigorously in touch with the Government of Nepal because now it is possible to deal with Nepal in a better way. Unfortunately, Nepal is not out of woods totally but as compared to earlier situation, it is in a better position. It is marching towards democracy. My officers have visited Nepal during these six months. We wish to do something in the Himalayan area also. Our feasibility reports are ready for two links for indian position . Now 14 feasibility reports in peninsular component are ready.

So inter-linking is a positive thing. The question of inter-linking will certainly bring relief to this country and I can assure this House that it is not on back burner. My Ministry will take positive action in that direction.

Now I would request Shri Mohan Singhji that I have accepted the spirit of his Bill. So, I would request him to

withdraw this Bill.

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे जो मंशा थी, उससे अपनी पूरी सहमति जताई है।[MSOffice68]

महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण से मुझे लगा कि जो पानी की जरूरत है, उसके समाधान और नदियों के विवादों के समाधान के लिए, मंत्री जी के नेतृत्व में इनका विभाग, इनका मंत्रालय तेजी से लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is that leave be granted to Shri Mohan Singh to withdraw his Bill.

The motion was adopted.

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

17.41 hrs.

(Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)